कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक /निर्वाचन/कार्मिक/2016 दिनांक 07/2/17

1–मुख्य चिकित्साधिकारी,
2–मुख्य चिकित्साधीक्षक, पुरूष,
3–मुख्य चिकित्साधीक्षक, महिला,
4–जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

प्रभारी अधिकारी, कार्मिक, शाहजहाँपुर के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश सं0–सी–02/निर्वाचन/कार्मिक/2016 दिनांक 06.01.2016 एवं पत्र सं0–सी–14/निर्वाचन/कार्मिक/2017 दिनांक 20.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न रोगो से ग्रसित/गर्भवती महिला कार्मिको को निर्वाचन डियूटी से मुक्त कराने की संस्तुति हेतु चिकित्सीय बोर्ड का गठन किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सीय बोर्ड दिनांक 08.02.2017 से 11.02.2017 तक अपरान्ह 12.00 बजे से 01.00 बजे तक गांधी फैज ए आम डिग्री कालेज, शाहजहाँपुर में बैठकर निर्वाचन कार्मिको की चिकित्सीय समस्याओं का परीक्षण कर अपना मंतव्य, कारण दर्शाते हुए स्वस्थ्य/अस्वथ्य सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी/प्रभारी अधिकारी, कार्मिक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि प्रशिक्षण स्थल पर प्राथमिक उपचार किट व एम्बुलेन्स उपलब्ध रहें।

(कर्ण सिंह चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

पृष्ठांकन सं0–सी 84 /तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि निर्वाचन सम्बन्धी बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2–जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3–प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम को इस आशय से वह समस्त सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
शाहजहाँपुर।